अध्याय प्रथम

शोध परिचय

प्रथम अध्याय

शोध परिचय

1.1 प्रस्तावना

शिक्षक समाज और राष्ट्र के निर्माता का मूलाधार है। शिक्षक पर ही समाज की उन्नति निर्भर होती है। भवन निर्माण में जो स्थान ईंटों का है, राष्ट्र के निर्माण में वही स्थान शिक्षक है, क्योंकि शिक्षक बालकों को समुचित शिक्षा प्रदान कर देश के भविष्य को उज्जवल करता है।

शिक्षक किसी भी समाज की रीढ़ होता है। अगर किसी व्यक्ति की रीढ़ की हड्डी कमजोर हो अथवा उसमें किसी तरह का कोई विकार हो तो पूरा शरीर सुचारू रूप से काम नहीं कर पाता। ठीक उसी प्रकार समाज के नैतिक, सामाजिक, आर्थिक व राजनैतिक विकास में शिक्षक एक रीढ़ के समान है। शिक्षक का अपना व्यवहार बच्चे के व्यक्तित्व के संपूर्ण विकास में सहायक होता है, अतः माता–पिता अपने बच्चों को शिक्षक को सुपुर्द कर राहत की सांस लेते हैं। शिक्षक भी पूरे मनोयोग से अपने कर्तव्य का निर्वाह करने की कोशिश करते हैं। यही कारण है कि बच्चों माता–पिता से भी ज्यादा अनुकरण अपने शिक्षकों का करते हैं, उन्हें अपना आदर्श मानते है। शिक्षक के प्रति यह उनका प्यार व सम्मान होता है। यूं तो हर शिक्षक की यही कोशिश होती है कि प्रत्येक बच्चे के साथ प्यार से पेश आए परंतु कभी–कभी ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है जब शिक्षक महसूस करता है कि 'बच्चे के फायदे के लिए' उसे दण्डित करना आवश्यक है।

इस परिस्थिति में उनके सामने यह सवाल उठता है कि, बच्चे को कितनी और कैसी सजा दी जाए जो उसे उसकी गलती का एहसास तो करा दे, परंतु उसमें विद्यालय के प्रति नफरत व शिक्षक के प्रति डर उत्पन्न न करे।

आए आयें दिन समाचार–पत्रों में 'शिक्षकों द्वारा प्रयुक्त दण्डों' (विशेष रूप से शारीरिक दण्ड) के संबंध में प्रकाशित कुछ खबरों से एक अहम हो उठा है

कि बच्चों को सजा दी जाए अथवा नहीं। सजा दी जाए तो उसका स्वरूप व मात्रा कितनी हो ताकि वह प्रभावशाली तो हो परंतु विद्यार्थियों के शारीरिक व मानसिक स्तर पर उसका नकारात्मक प्रभाव न पड़े। ये घटनाएँ वहीं एक तरफ सजा के प्रति शिक्षकों और शिक्षा व्यवस्था के दृष्टिकोंण को दर्शाती हैं वहीं दूसरी ओर हमारे सामने कुछ सवाल भी खड़े करती हैं जैसे – शिक्षक सजा क्यों देते हैं? सजा से बच्चे के व्यक्तित्व पर क्या प्रभाव पड़ता है? सजा के सबसे ज्यादा शिकार कौन से विद्यार्थी बनते हैं?

1.2 गुरू शिष्य संबंध

संस्कृति और संबंध ही जिसकी गरिमा की पहचान है ऐसे भारतीय समाज में माता–पिता के बाद गुरूजनों को महत्व दिया गया है। शिक्षा व्यक्ति के जीवन का महत्वपूर्ण कारक है। और शिक्षा जितना ही महत्व शिक्षक का है परंतु कुछ समय से घटित घटनाओं ने इस अत्यंत सम्माननीय संबंध को शर्मजनक हद तक ले जाने का काम किया है। हाल ही में हिन्दी की एक शिक्षिका द्वारा दी गई शिक्षा (दण्ड) के कारण मासूम विद्यार्थी की मृत्यु हुई जिससे समग्र देश के शिक्षकों के विद्यार्थी के साथ अमानुषी वर्तन किये जाने की चर्चा हो रही है। यहाँ पर उल्लेखनीय है कि इससे पहले हिन्दी की ही न्यू अशोक नगर विस्तार में नगर निगम के विद्यालय में तीसरी कक्षा में पढ़ रहे विद्यार्थियों को मारने की वजह से 11 (ग्यारह) विद्यार्थी गंभीरता से घायल हुए। इसके सिवाय हमारे आसपास आय दिन ऐसी घटनाएँ घटित होती रहती हैं। जिसमें शारीरिक दण्ड के द्वारा बच्चों के साथ अमाननीअमानवीय व्यवहार किया जाता है। ऐसी घटनाओं ने माता–पिता व मासूम बच्चों की नींद हराम कर दी है। वास्तव में बड़े विकसित देशों में बच्चों को शाला और घर में भी दण्ड देने पर प्रतिबंध लगाने की सजा फरमाई है। शिक्षा जगत में आये इस दूषण से आज शिक्षा संस्थाओं में बच्चों के साथ जातीय छेड़छाड़, रैगिंग आदि ने समाज को चिंतित कर दिया है।

इस शिक्षा की संस्कृति ने शिक्षा का गर्भ ही खो दिया है। गुरु शब्द के साथ जुड़े मान–सम्मान, आदर और औचित्य को खत्म ही कर दिया है। आज का शिक्षक मात्र व्यवसाय से जुड़ा है। उसके अंदर बच्चों के प्रति ममता व

करूणा नहीं दिखाई देती। ये बात आज और आने वाली पीढ़ी के लिए आघातजनक व खतरनाक साबित होगी। बच्चों के बालमानस पर इसका गहरा प्रभाव देखने को मिलता है। आज की स्थिति में शिक्षण प्रणाली में आदर्श, मानवीय अभिगम, संवेदनशीलता और विश्वास के गुणों का सातव्सातत्य बरकरार रहे ये अति आवश्यक है। अन्यथा संस्कारों का सिंचन करने वाली संस्था ही दुर्गुणों का सिंचन करने की जवाबदार बन जायेगी और उसको इस पाप से कोई नहीं बचा सकता।

1.3 प्राचीनकाल में दण्ड का स्वरूप

प्राचीनकाल में गुरू शिष्य संबंध भक्त व भगवान जैसा माना गया है। शिष्य गुरू के आश्रम में निवास करते थे वहीं उनकी शिक्षा–दिक्षा होती थी। शिष्य को दण्ड के रूप में आश्रम की साफ–सफाई करनी पड़ती, पानी भरना, पशुओं के लिए घास–पूस लाना, यज्ञ व होम–हवन के लिए लकड़ियाँ इकट्ठा करना आदि काम सौंपे जाते थे। इस दण्ड का उद्देश्य शिष्य के व्यवहार को सुधारना होता था।

1.4 उन्नीसवीं शताब्दी में दण्ड का स्वरूप

उन्नीसवीं शताब्दी में अध्यापक को कुलपति कहा जाता था, जो एक बड़े समूह का पालन करते थे। कुलपति का अर्थ है कुल के स्वामी। एक पूरा परिवार जो विद्या परिवार है, उसके नियंत्रक, कुलपति। कुलपति पूरा ख्याल रखते थे विद्यार्थियों के स्वास्थ्य का, उनके भोजन का, उनके वस्त्र का, उनके जीवन का। अपनी आँख सजग रखते थे कि मेरा बच्चा कैसे कर रहा है। और उसी प्रकार के पारिवारिक स्नेह से लड़के उनसे अनुशासित थे। किसी दण्ड के भय से अनुशासित नहीं थे बल्कि एक प्यार के नाते अनुशासित थे।

विद्यार्थी का व्यवहार ठीन न हो तो उसका इन व्यवहार के कारण उत्पन्न होने वाले नुकसानों के बारे में बताकर आगे भविष्य में ऐसा न करने की सलाह दे सकते हैं। फिर भी विद्यार्थी न समझे तो माता–पिता के साथ मिलकर उसे समझाने का प्रयत्न कर सकते हैं। किसी भी प्रकार का दण्ड जो भय

उत्पन्न करे, का प्रयोग करना प्रभावशाली अध्यापक अच्छा नहीं समझते। अन्य *अनुशासन आगम जैसे आवाज में फेरबदल, हंसी–मजाक आदि प्रभावी सिद्ध हो* सकते हैं।

1.5 बीसवीं शताब्दी में दण्ड का स्वरूप

20 वीं शताब्दी के आरम्भ में प्रगतिशील शिक्षा आंदोलन प्रारम्भ हुआ जिसके अनुसार दण्ड एवं सख्ती को समस्यात्मक व्यवहार का कारण न कि समाधान माने जाने लगा। इस आंदोलन का मुख्य विचार यह था कि दण्ड से बालकों में डर उत्पन्न होता है और डर से उनमें विभिन्न तरह की बचाव प्रतिक्रियाएँ शुरू हो जाती है इससे फिर बालक दण्ड के भागी बन जाते है। अतः दण्ड के इस दूषित चक्र को तोड़कर शिक्षण कार्य में अनुशासन सुशासन की निरंतरता को बनाये रखने वाला परमावश्यक धनात्मक पहलू या तत्व माना गया है।

1.6 शिक्षा मनोविज्ञान की दृष्टि से दण्ड

शिक्षा मनोविज्ञान में शाब्दिक व शारीरिक दण्ड का निषेध होने के साथ ही नकारात्मक दण्ड की सिफारिश की गई है जिसके अंतगर्त शिक्षण विद्यार्थी की मनपसंद वस्तु, खेल में भाग लेने, पिकनिक आदि पर प्रतिवंध लगा सकता है परंतु एक सीमा तक। शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति से पूर्व लगभग सभी शिक्षक दण्ड का प्रयोग करते हुए इसे अपना जन्मसिद्ध अधिकार मानते थे। यह दण्ड शाब्दिक (अपशब्दों व वाक्यों का प्रयोग), मानसिक (अपमानित करना, नीचा दिखाना) व शारीरिक (थप्पड़, डंडे आदि का प्रयोग) सभी प्रकार का होता था। शिक्षा मनोविज्ञान की सिफारिशों से इस प्रकार के दण्ड पर कुछ अंकुश लगा है तथा इसके विरूद्ध कानून भी बने है।

1.7 विद्यालयों में दण्ड क्यों?

विद्यालय में दण्ड क्यों दिया जाता है? इस प्रश्न के जवाब में शिक्षक अक्सर तर्क देते हैं कि बच्चों की गलती सुधारने, उनकी शरारतों पर अंकुश लगाने, उनको सबक सिखाने अथवा उनका परिणाम सुधारने के लिये। सत्य तो

यह है कि विद्यालय या शिक्षक इस स्पर्धात्मक युग में अपना स्थान जमाने के लिये उच्च परिणामों की प्राप्ति के लिये दण्ड देते हैं।

शिक्षक के हाथों में बच्चों का भविष्य होता है अतः वह उनके भविष्य को सुधारने के लिये लगातार प्रयत्न करता है। वह बच्चों के अच्छे कार्य व उचित व्यवहार पर शाबाशी देकर उन्हें प्रोत्साहित करता है तो काम न करने पर अथवा अनुचित व्यवहार करने पर उन्हे दण्डित भी करता है।

आज भी अधिकतर शिक्षक दण्ड का प्रयोग करते हैं। खासकर शारीरिक दण्ड को अधिकतर अध्यापक एकमत से अनिवार्य व उचित मानते है। उनके मतानुसार वर्तमान भौतिकवादी युग में 'मीडिया' ने बच्चों को उद्दण्ड व शिक्षा के प्रति उदासीन बना दिया है। माता–पिता के पास उनके लिये समय नहीं है। दिन–प्रतिदिन बदलता पाठ्यक्रम व समय पर उसे पूरा करने की मांग उन्हें (शिक्षकों को) एक अनचाही खीज से भर देता है जिसकी परिवति परिणति विद्यार्थियों को सजा देने के रूप में होती हैं। चाह कर भी वे अपने आप को ऐसा करने से रोक नहीं पाते उनका मानना है कि सजा बच्चों के व्यवहार को नियंत्रित करने का एक कारगर तरीका है। हैरानी की बात यह है कि बहुत से बच्चे भी इसे सही मानते है। परंतु अनुचित सजा देने वाले शिक्षकों में अधिकतर वे शिक्षक होते है जो या तो असंयमी व क्रोधी स्वभाव के होते है या फिर उन्हें अपने विषय की पूरी जानकारी नहीं होती। कभी–कभी अपने व्यवसाय के प्रति असंतोष तो कभी–कभी व्यक्तिगत कारण भी उसे सजा देने को 'विवश' कर देते हैं। परंतु उनके इस अनुचित व्यवहार का क्या प्रभाव पड़ता है मासूम बच्चों पर, कभी शिक्षकों ने इस बारे में सोचा है?

1.8 दण्ड का अर्थ एवं परिभाषाएँ

'दण्ड' को पहले 'अनुशासन' के स्वरूप में लिया जा रहा था। 19 वी शताब्दी में अनुशासन का अर्थ शिक्षक दण्ड एवं सख्ती से लगाते थे। जब भी वे बालकों को अनुशासित करने की बात करते थे, तो वे बालकों को दण्ड देते थे तथा उनके साथ सख्ती से पेश आते थे। अतः उस समय अनुशासन का अर्थ

दण्ड एवं सख्ती था। शिक्षकों का मत था कि दण्ड देने एवं सख्ती बरतने से छात्रों का दुर्व्यहार समाप्त हो जाएगा और वे ठीक ढंग से व्यवहार करेंगे।

'दण्ड' को कुछ धनात्मक पहलुओं के आधार पर परिभाषित करने की कोशिश की गई। जो निम्नानुसार है –

1. **Sir T. Percy Nunm** के कथानुसार – दण्ड तथा दण्ड के भय के से विद्यायल शासन की नैसर्गिक नींव मानना धीरे–धीरे अज्ञानता तथा अन्ध विश्वास का लक्ष्य माना जाता रहा है।
2. **Brey** का कहना है कि – दण्ड तो भविष्य में होने वाली बड़ी बुराई को दूर करने के लिये एक छोटी बुराई है। यह तो सर्वदा देखा गया है कि बुराई को यदि आरंभ में न रोका जाए तो अन्त में वह विनाशकारी बन जाती है।
3. **P.C. Wren** का मानना है कि कि – दण्ड तो बुराई है जिसे रोकना चाहिए। परंतु वे इसे डॉक्टर के चाकू की भाँति आवश्यक बुराई मानते हैं।
4. **Bagley** तथा **Brey** का विचार है कि – दण्ड का हमारे विद्यालय में परित्याग न करने योग्य स्थान है।
5. **Fredich Burk** का कहना है कि – नैसर्गिक दण्ड सबसे उत्तम होता है और विद्यालय में किसी अन्य प्रकार के दण्ड का कोई स्थान नहीं।
6. **सोलोमन** के अनुसार – "दण्ड एक उद्दीपन के समान है जिससे व्यक्ति बचने का प्रयास करता है।"
7. **रूसो** तथा उसके **अनुयायी** कहते हैं कि प्राकृतिक अनुशासन द्वारा ही विद्यालयों में व्यवस्था की जाए। प्राकृतिक अनुशासन के अनुसार प्रकृति के नियमों का उल्लंघन करने पर प्रकृति द्वारा दण्ड दिया जाता है। इस अनुशासन में बालक स्वतंत्रतापूर्वक रहता है। उसके लिए नियमों की कोई आवश्यकता नहीं। बालक यदि अनुचित कार्य करता है तो प्रकृति द्वारा उसे दण्ड मिलता है। बालक यदि आग में हाथ डालता है तो उसका दण्ड वह स्वयं ही भुगत लेता है। बालक देर से विद्यालय आता है तो पढ़ाये हुए पाठ से वंचित रह जायेगा।

आधुनिक विद्वानों का कहना है कि शारीरिक दण्ड अमानुषिक है और निर्दयता का परिचायक है। जिस छात्र को शारीरिक दण्ड मिलता है वह कभी-कभी कुछ समय के पश्चात् एक स्थायी अपराधी भी बन जाता है।

1.9 दण्ड के उद्देश्य एवं लक्ष्य

आधुनिक शिक्षा मनोवैज्ञानिकों के अनुसार दण्ड के मुख्य उद्देश्य एवं लक्ष्य निम्नांकित है -

1. प्रतिशोधात्मक (Retributive or vindictive)

अपराधी बालक को इसलिए सजा हो क्योंकि, उसने दूसरे छात्र को सजा दी है। यदि एक छात्र ने दूसरे को चपत लगाई है तो अपराधी को भी अध्यापक द्वारा चपत लगानी चाहिए। इस दण्ड के पीछे केवल बदला लेने की भावना है। इस प्रकार के दण्ड के भाव को अच्छा नहीं माना जाता।

2. उल्लंघन (Offensive)

दण्ड देने का दूसरा लक्ष्य है कि अपराधी को इस बात का बोध कराया जाए कि उसने नियमों को तोड़ा है।

3. रक्षा-रूप (Protective)

में तीसरा लक्ष्य अन्य बालकों को अपराधों से बचाना है। यदि एक छात्र दूसरों को पढ़ने नहीं देता तो उसे एक कोने में खड़ा कर दिया जाता है ताकि दूसरे छात्र शान्तिपूर्वक पढ़ सकें।

4. अनुकरणीय (Exemplary)

दूसरों के सामने उदाहरण प्रस्तुत करना ताकि वे भी ऐसा न करें।

5. सुधारात्मक (Reformatory)

विद्यालयों में अपराधी को इसलिए दण्ड दिया जाता है कि उसमें सुधार हो सके। यही दण्ड का ठीक लक्ष्य है। छात्र को यह अनुभव करा देना चाहिए कि उसने गलती की है और उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। यह अवश्य अपने

किये हुए कार्य पर पश्चाताप करे। इस प्रकार के लक्ष्य से छात्रों में अच्छी मनोवृत्ति आती है और वे सामाजिक नियमों के अनुसार कार्य करते हैं।

1.10 दण्ड के प्रकार

'दण्ड' व्यवहार को रोकने के लिए उतना ही दिया जाना चाहिए जितने से अपना उद्देश्य प्राप्त किया जा सके। दण्ड के मुख्य पाँच प्रकार है जो निम्नानुसार दर्शाये गये है –

दण्ड के प्रकार

शारीरिक | **मानसिक** | **शाब्दिक** | **नकारात्मक** | **नाणाकिय**

शिक्षक द्वारा दिये दण्ड का स्वरूप उसके अपने व्यक्तित्व व विवेक पर निर्भर करता है। दण्ड कई प्रकार का हो सकता है तथा उसके होने का तरीका भी भिन्न–भिन्न हो सकता है। यह शिक्षक की अपनी सोच पर निर्भर करता है कि यह किस प्रकार के दण्ड का प्रयोग किस रूप में करता है। आईये इस बात पर गौर करें।

शारीरिक दण्ड में आमतौर में मुख्य रूप से शामिल है – "बच्चों को झाड़ना, फटकारना, विद्यालय परिसर में दौड़ना, छड़ी से पीटना, बैंच पर खड़ा करना, चांटा मारना, मुर्गा बनाना, एक पैर पर खड़ा करना, अंगूठे पकड़वाना, कान पकड़वाना, धूप में खड़ा करना, बालों व कानों को खींचना आदि।"

मानसिक दण्ड के अंतर्गत "पूर्वाग्रह युक्त व्यवहार करना, वर्ग में अकेले बंद करना, वर्ग से बाहर निकालना, मजाक उड़ाना, शाला से निकाल देना, सबके सामने माफी मंगवाना, अपमानित करना, नीचा दिखाना, आदि जैसे सभी प्रकार के कृत्य जो बच्चों के बाल मानस पर आघात पहुँचाने वाले हों, वह मानसिक दण्ड की श्रेणी में आते हैं।"

शाब्दिक दण्ड जिससे बच्चों की कोमल भावनाओं को ठेस पहुँचती है उसमें शामिल है – "गाली देना, सबके सामने बुरी तरह डांटना, अभीभावकों के बारे में भला–बुरा सुनाना, धमकियाँ देना आदि।"

नकारात्मक दण्ड में शिक्षक विद्यार्थी की मनपसंद वस्तु, खेल में भाग लेने, पिकनिक जाने पर, मित्र से बातचीत करने एवं पास बैठने पर प्रतिबंध लगा देना है। सामान्य दण्ड के तौर पर यही दण्ड दिया जाता है।

नाणकिय दण्ड के अंतर्गत, जुर्माना लेना, क्षतिपूर्ति करवाना आदि का समन्वय किया जाता है।

इस प्रकार यहाँ पर की गई चर्चा के अनुसार ये पाँचों प्रकार के दण्ड आज भी विद्यालयों में प्रयुक्त है।

1.11 शारीरिक दण्ड (Corporal Punishment)

शारीरिक दण्ड के संबंध में 'विद्वानों' के विभिन्न विचार है। पुरानी शिक्षा पद्धति में इसका महत्वपूर्ण योगदान है। दण्ड का न होना बच्चे को बिगाड़ता है – इस प्रकार की विचारधारा सर्वमान्य थी। कहा जाता था कि जिस व्यक्ति को दण्ड नहीं मिला, वह ठीक हो ही नहीं सकता।

1.12 दण्डात्मक अनुशासन

संसार के विद्वान मानव को ज्ञान के बिना पशु मानते थे। ज्ञान के लिये अधिक से अधिक दण्ड की व्यवस्था की गई थी जैसा कि **'क्यूवरले'** ने व्यक्त किया है – **"एक स्वावियन अध्यापक** ने अपने 51 वर्ष तथा 7 माह के अध्यापन काल में साधारणतया 9,11,527 बैंत, 1,24,010 डण्डे, 20,989 रूले मारी। 1,36,715 चांटें लगाये। 10,235 मुँह पर चांटे लगाये गये, 7,901 बार कान उमेठे, 11,15,800 सिर पर थप्पड़ मारे गये...1,777 बार मुर्गा बनाया, 615 613 बार तिपाई पर मुर्गा बनाया, 3,001 बार तजैकास पहनायी, 1,107 707 बार मुगदर ऊपर उठवाये गये।" अतः शिक्षा मनोविज्ञान

ने अनुशासन व शारीरिक दण्ड के इस भयानक तरीके को दूर करने हेतु सुधारात्मक सुझाव दिये।

शारीरिक दण्ड के डर के कारण बच्चे विद्यालय जाना पसंद नहीं करते। 'भारी बस्ता', 'भारी विषय–वस्तु', 'भारी अनुशासन', 'भारी गृहकार्य', और 'कसी हुई समय सारणी'। शाला की केवल एक ही बात की ख़ुशी होती है वह है छुट्‌टी की घण्टी। बाढ़ के समय नदी में आए प्रवाह की तरह कक्षाओं से निकलते बच्चे ऐसे प्रतीत होते है मानों जान छुड़ा ढ़ाकर आए हों या जेल से छूटे हों।

1.13 दण्ड के लिये शिक्षक का कार्य

बी.एफ. स्किनर ने भी दण्ड को महत्व दिया है। छात्र के अवांछित व्यवहारों को रोकने के लिये दण्ड देना चाहिए। कक्षा अनुशासन तथा विद्यालय में अनुशासन रखने के लिये दण्ड दिया जा सकता है। दण्ड अनुशासन का ही रूप होता है।

स्किनर ने दण्ड को स्वस्थ संवेग नहीं माना है, क्योंकि इसका आधार भय होता है। उनका सुझाव है कि अवांछनीय कार्यो पर ध्यान नहीं देना चाहिए। क्योंकि दण्ड देने पर अवांछनीय व्यवहारों को बल मिलता है। छात्रों में हीन भावना का विकास होता है, शिक्षक के प्रति सद्‌भावना नहीं रहती है। अतः इसका प्रयोग यदाकदा ही करना चाहिए। यह नहीं कि जब शिक्षक को क्रोध आया तब विद्यार्थी को पीट दिया या अन्य दण्ड दे दिया।

एक जमाने में गुरूजी एक हाथ में किताब रखते थे और दूसरे हाथ में बड़ी सोटी रखते थे ऐसा माना जाता था कि ताड़न के बिना विद्या आ ही नही सकती। हम कहते है अगर ऐसा होता तो तालीम के महकमे की जरूरत ही क्या थी? पुलिस के महकमें से काम चल सकता था। किन्तु आज कल वैसी मान्यता नहीं है। अगर शिक्षक को पढ़ाते समय पीटना पड़ता है तो उसका मतलब है कि उसमें कुछ कमी है।

–विनोबा भावे

1.14 दण्ड का विरोध क्यों ?

1. दण्ड एक पाशविक प्रवृत्ति है। उसका मानवीय मूल्यों से कोई संबंध नहीं है।
2. बालक कोमल स्वभाव के होते हैं। दण्ड द्वारा वे भीरू बन जाते हैं।
3. दण्ड से छात्र निर्लज्ज और ढ़ीट ीड बन जाते हैं।
4. दण्ड के भय से कभी–कभी छात्र विद्यालय तथा पढ़ाई भी छोड़ देते हैं।
5. शारीरिक दण्ड कई बार स्थायी रोगों को जन्म देते हैं।
6. दण्ड के द्वारा छात्रों में स्थायी रूप से अनुशासन के प्रति प्रेम उत्पन्न नहीं किया जा सकता।

1.15 कोठारी आयोग

साठ के दशक में गठित कोठारी आयोग ने कहा था कि भारत का भविष्य उसके शिक्षकों के भविष्य में निहित है क्या बिना सशक्त शिक्षक वर्ग के भारत के भविष्य की नींव सुदृढ़ और सशक्त बन पायेगी ?

शिक्षक दण्ड क्यों देते हैं? कोठारी आयोग ने कुछ कारक बताये हैं जो इस प्रकार हैं...

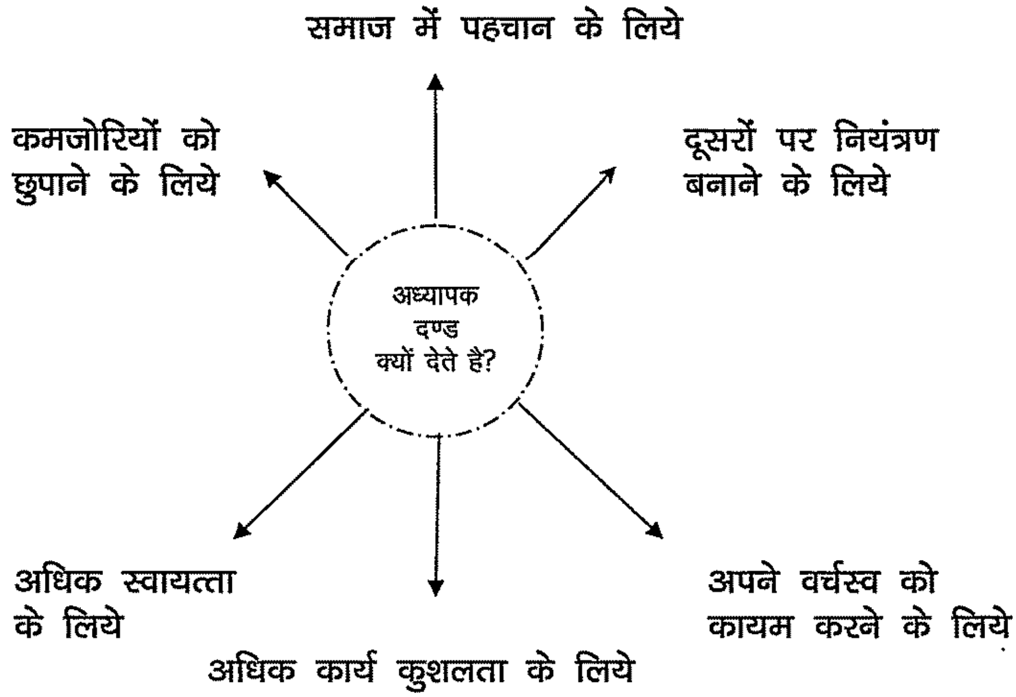

1.16 भारतीय संविधान

1. राष्ट्रीय बल नीति

22 अगस्त सन् 1947 को भारत सरकार ने बालकों के कल्याणार्थ राष्ट्रीय बल नीति की घोषणा की। बालकों के पूर्ण शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक विकास हेतु सर्वोत्तम परिस्थितियों का निर्माण करने हेतु उपाय किये जाने चाहिए जिनमें ये भी शामिल हैं –

1. विद्यालय का अनुशासन इस प्रकार का होना चाहिए जिससे बालकों के आत्म–सम्मान को ठेस न पहुँचे।
2. भारत के उच्चतम न्यायालय ने ये घोषणा की कि किसी भी हालात में शिक्षक किसी भी प्रकार का दण्ड छात्र को नहीं दे सकता।

2. बालकों के अधिकार

संयुक्त राष्ट्र संघ ने बालकों के अधिकारों की घोषणा 20 नवम्बर सन् 1989 को की थी। इस घोषणा का मूल उद्देश्य विश्व के समस्त बालकों हेतु मूलभूत मानवीय अधिकारों को सुनिश्चित करना था। भारत सरकार ने इस घोषणा को 11 दिसम्बर सन् 1992 को अंगीकृत किया। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा घोषित बालकों के अधिकारों में ये मुद्दे भी शामिल थे –

1. प्रत्येक राष्ट्र को बालकों के जीवन की सुरक्षा और उनके विकास की सुनिश्चित करने की दिशा में प्रभावी कदम उठाने चाहिए।
2. छः वर्ष से कम और चौदह से ज्यादा उम्र वाले बालकों को दण्ड देना उचित नहीं है।

3. निः शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (22 अगस्त, 2009)

भारत गणराज्य के सांठवे वर्ष में संसद द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित होः जिसमें अध्याय 4: विद्यालयों और शिक्षकों के उत्तरदायित्व में कम, नं. 17 में बालक को शारीरिक दण्ड और मानसिक उत्पीड़न का प्रतिबैषेध – (1) किसी बालक को शारीरिक दण्ड या मानसिक उत्पीड़न नहीं किया जाएगा।

श्री कोई उपधारा 1 के उपबंधों का उल्लंघन करेगा ऐसे व्यक्ति की लागू सेवा नियमों के अधीन अनुशासनिक कार्यवाई का दहायी होगा।

सन् 2000 में सर्वोच्च न्यायालय ने कक्षाओं में छड़ी के प्रयोग पर पूरी तरह पाबंदी लगा दी थी। दिल्ली उच्च न्यायानलय भी इस संबंध में आदेश जारी कर चुका है कई अन्य राज्यों ने भी स्कूलों में शारीरिक दण्ड पर प्रतिबंध लगा दिया है। बच्चों के अधिकारों की रक्षा के लिए गठित आयोग भी बच्चे की शारीरिक या मानसिक तौर पर प्रताड़ित करने वाले शिक्षकों को दण्ड देने की शिफारिश कर चुका है। लेकिन सख्त कानूनों और स्पष्ट दिशा निर्देशों के बावजूद शिक्षकों के हाथों बच्चों को पीटे जाने की घटनाएँ जारी है। आज भी अधिकतर शिक्षक दण्ड का प्रयोग करते है।

अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन, बच्चों की स्थितिः शारीरिक दण्ड पर– अप्रैल 2003

परिभाषा –

शारीरिक दण्ड, शारीरिक बल का इरादा कुछ डिग्री के कारण के लिए दर्द या अनुशासन सुधार के लिए परेशानी है, और नियंत्रण, परिवर्तित या विश्वास में व्यवहार लाने के लिए दिया जाता है।

मानसिक दण्ड के रूप में मनोवैज्ञानिक हिंसा, अपमानजनक व्यवहार और धमकियाँ हो सकता है सामान्य रूप से ये हानिकारक है– बच्चों के लिए।

इस गठबंधन के द्वारा दण्ड के स्रोत दर्शाये गये है जो निम्नांकित है–

दण्ड के स्रोत –

दण्ड के मुख्य दो स्रोत है– 1. विद्यालय, 2. घर।

विद्यालयों में दण्डित करने वाला शिक्षक होता है जो अनुशासित करने हेतु दण्ड का प्रयोग करता है। जिसका उद्देश्य कभी कबार बच्चों की गलतियों को सुधारना एवं बुराई को रोकना होता है।

घर में अभिभावकों व परिवारजनों द्वारा बच्चों को दण्डित किया जाता है। उनका हेतु बच्चों में मूल्य व आदर्श स्थापित कर उनकों भावी जीवन के लिए तैयार करना होता है।

1.17 समस्या कथन

दण्ड के प्रकार एवं शिक्षक व विद्यार्थियों का दण्ड के प्रति अभिप्राय : एक अध्ययन

1.18 अध्ययन की आवश्यकता

अध्ययन की आवश्यकता को दर्शाती कुछ घटनायें यहाँ पर प्रस्तुत की गई है निम्नानुसार है-

22, मई 2006, हिन्दुसतान टाइम्स

शारीरिक दण्ड की एक अन्य अमानवीय घटना में भुवनेश्वर के सरकारी स्कूल की एक शिक्षक ने तीन बच्चियों को होम वर्क की गलतिया करने पर गरम लोहे की सलाख से दण्डित किया। ये तीनों बच्चियां 4-5 साल की थी।

11, नवम्बर 2007, राष्ट्रीय सहारा

एक स्कूल के प्रचार्य ने एक छात्र को बिना कारण जाने इतनी बुरी तरह पीटा कि उसका हाथ ही टूट गया।

21, जनवरी 2008, जनसत्ता

एक विद्यालय में दसवीं कक्षा में पढ़ने वाली एक छात्रा के सिर पर शिक्षक ने इसलिए जोर से डण्डा मारा क्योंकि उसने उनसे ट्यूशन पढ़ने से मना कर दिया था। यही नहीं जब वह बेहेश होकर गिर पड़ी तो उस शिक्षक ने कक्षा के बच्चों को किसी को कुछ भी बताने से मना किया। तीन महीने तक बीमार रहने के बाद वह छात्रा कोमा में चली गई।

22, मई 2006, हिन्दुस्तान टाइम्स

शारीरिक दण्ड की एक अन्य अमानवीय घटना में भुवनेश्वर के सरकारी स्कूल की एक शिक्षक ने तीन बच्चियों को होम वर्क की गलतिया करने पर गरम लोहे की सलाख से दण्डित किया। ये तीनों बच्चियां 4–5 साल की थी।

10 जून, 2010

असम के एक छात्र की मृत्यु पर उसके परिजन ने शिक्षकों के ऊपर आरोप लगाया क्योंकि उसके पहले छात्र की उसके कम्प्यूटर शिक्षक और उपप्रधानाचार्य द्वारा 25 मई को पीटा गया था क्योंकि छात्र ने होम वर्क नही किया था। गृहकार्य न करने पर एक निजी स्कूल में एक शिक्षिका ने सात वर्षीय छात्र को निर्वस्त्र कर दिया था। इस शिक्षिका ने उस छात्र का शरीरिक ही नहीं नैतिक रूप से भी ....शोषण किया जिसका परिणाम होगा कि वह छात्र भविष्य में शायद ही किसी शिक्षिका को वह सम्मान दे पाए जो उसे देना चाहिए।

9 जुलाई, 2010

हिन्दी के एक विद्यालय में 6वीं कक्षा के एवं 12 वर्ष की आयु वाले एक छात्र को देर से आने के कारण शिक्षिका ने पीटा। इस पिटाई के कारण वह छात्र द्वितीय तल से कूदा और नीचे गिरने की वजह से उसके दोनों पैर में चोंट आई।

31 जुलाई, 2010

पंजाब के बर्नाला के सरकारी विद्यालय में शिक्षक ने क्लास बंक करने के संदेह के कारण 16 छात्रों की पिटाई की जिसमें से एक छात्र का हाथ टूट गया।

11 अगस्त, 2010

बर्नगल स्कूल Warngal School में अनुशासन के लिए 11 बच्चों को शिक्षक ने जलती हुई लकड़ी से हाथों पर मारा।

ऐसे शिक्षकों के प्रति विद्यार्थी कभी सम्मान भाव नहीं रख पाते वरन् वे जगह–जगह उनका मजाक उड़ाकर अपने मन की क्षुधा को शांत करने का प्रयास करते है। ये शिक्षक जो विद्यार्थियों के शरीर को चोंट पहुँचाते है और इनके मानसिक व सामाजिक विकास को भी अवरूद्ध कर देते है तथा शिक्षा व छात्रों के प्रति समर्पित शिक्षकों के उद्देश्यों की प्राप्ति में रूकावट (बाषाधक) बनाते है।

यहाँ पर दिये गये उदाहरण तो वे है जिनको अखबारों में छपने का मौका मिला ऐसे अनेक उदाहरण और भी होंगे जो छपे नहीं।

उपरोक्त घटनाएँ दर्शाती है कि दण्ड बच्चों के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक व नैतिक सभी पक्षों को प्रभावित करता है तथा उसका गलत प्रयोग छात्रों के व्यक्तित्व का संपूर्ण और संतुलित विकास करने में बाधा उत्पन्न करता है। इस प्राकर की घिनौनी सजाएँ उनमें हीनभाबना, नफरत व डर को भी जन्म देती है। जो भविष्य में समाज के लिए भी हानिकारक सिद्ध होती है। सजा के डर से कुछ बच्चे स्कूल तो क्या पढ़ाई तक छोड़ देते है।

दण्ड देने की वजह के कुछ उदाहरण दृष्टत्य है:–

1. गृहकार्य समय पर न करना।
2. वर्ग में देर से आना।
3. शिक्षण कार्य में बाधक बनना।
4. शिक्षक एवं विद्यार्थियों के साथ दुर्व्यवहार करना।
5. शाला के नियामों का पालन न करना।
6. शाला की संपत्ति को नुकसान पहुँचाना।
7. चोरी करना, मारपीट करना।
8. व्यक्ति व वस्तु को नुकसान पहुँचाना।
9. कक्षा में अकारण अनुपस्थित रहना।
10. देर से आना और समय समाप्ति के पूर्व ही कक्षा से भाग जाना।

उपरोक्त उपकरणों के विद्यालय तथा वर्ग में उपस्थित होने पर शिक्षक को क्या करना चाहिए एवं विद्यार्थियों का इन परिस्थितियों के प्रति क्या मत हो सकता है इस बारे में अध्ययन कर रहा यह शोध प्रस्ताव वर्तमान माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत व शिक्षारत शिक्षकों एवं विद्यार्थियों का दण्ड के प्रति क्या अभिप्राय है यह जानने का प्रयास कर रहा है।

शारीरिक दण्ड पर प्रतिबंध लगाने के बावजूद भी छात्र दण्ड के भोगी बनते है। इसी समस्या को आधार बनाकर अनुशासनकर्ता ने इस शोध प्रस्ताव का चुनाव किया है जो वर्तमान परिपेक्ष्य में बहुत महत्व रखता है।

शिक्षा मनोविज्ञान, समय–समय पर गठित शिक्षा समितियाँ और शिक्षा आयोग, राष्ट्रीय शिक्षा नीतियाँ, शिक्षाविद और कानून सभी इस बात की जोरदार सिफारिश करते हैं कि बच्चों को विद्यालय में दण्ड अथवा सजा न दी जाए। परंतु आँकड़े बताते हैं कि बच्चों को दण्ड विशेषकर शारीरिक दण्ड देने का चलन जारी है और शायद ही कोई विद्यालय इससे अछूता हो। शिक्षक बच्चों को दण्ड क्यों देते हैं? बच्चों के ऊपर इन सजाओं का क्या प्रभाव पड़ता है? किन विद्यालयों और किस माध्यम के बच्चों को दण्ड अधिक दिया जाता है? शोध में इस बिन्दु को भी छूने की कोशिश की गई है कि यदि सजा देना आवश्यक ही है तो उसका स्वरूप कैसा हो, आदि गंभीर मुद्दों पर चर्चा कर रहा है यह अनुसंधान जिसमें शिक्षक एवं विद्यार्थियों का दण्ड के बारे में अभिप्राय प्राप्त कर उसका मूल्यांकन एवं विश्लेषण किया गया है। इस अभिप्राय को प्राप्त करना ही इस शोध प्रस्ताव की आवश्यकता को प्रकट करता है।

तालिका 1.1

Corporal Punishment in India Reports by Children

No.	State	Yes (%)	No (%)
1.	असम	99.56	0.44
2.	मीजोरम	90.86	9.14
3.	उत्तरप्रदेश	81.59	18.41
4.	महाराष्ट्र	75.9	24.1
5.	दिल्ली	69.11	30.89
6.	केरला	57.58	42.42
7.	पश्चिम बंगाल	55.56	44.44
8.	आंध्रप्रदेश	50.03	46.97
9.	गुजरात	48.97	51.03
10.	मध्यप्रदेश	48.73	51.27
11.	बिहार	47.45	52.55
12.	गोवा	34.25	65.75
13.	राजस्थान	17.87	82.13
	कुल	65.01	34.99

BBC News - Corporal Punishment Widespread in Indian Sschool.

1.19 अध्ययन के उद्देश्य –

अध्ययन के उद्देश्य निम्नानुसार है –

1. माध्यमिक विद्यालयों के अंतर्गत दिये जा रहे ""दण्ड"" के प्राकारों का अध्ययन करना।
2. माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों का दण्ड के बारे में अभिप्राय का अध्ययन करना।
3. माध्यमिक विद्यालयों के कक्षा नवमीं के विद्यार्थियों का दण्ड के बारे में अभिप्राय का अध्ययन करना।

4. माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों के दण्ड के अभिप्राय में उनकी सामाजिक, व्यावसायिक पृष्ठभूमि के प्रभाव का अध्ययन करना।
5. माध्यमिक विद्यालयों के विद्यार्थियों के दण्ड के अभिप्राय में उनकी सामाजिक पृष्ठभूमि के प्रभाव का अध्ययन करना।

1.20 शोध प्रश्न–

प्रस्तुत शोध की प्रकृति एवं चयनित चरों को ध्यान में रखते हुए इस शोध हेतु शोध प्रश्नों का निर्माण किया गया है जो इस प्रकार है–

1. क्या माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों में लिंग के आधार पर दण्ड के अभिप्राय में सार्थक अंतर होता है?।
2. क्या माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों में स्थान के आधार पर दण्ड के अभिप्राय में सार्थक अंतर होता है?
3. क्या माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों में विद्यालयों के प्रकार के आधार पर दण्ड के अभिप्राय में सार्थक अंतर होता है?
4. क्या माध्यमिक विद्यालयो के शिक्षकों में माध्यम के आधार पर दण्ड के अभिप्राय में सार्थक अंतर होता है?
5. क्या माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों में अनुभव के आधार पर दण्ड के अभिप्राय में सार्थक अंतर होता है?
6. क्या माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों में विषय के आधार पर दण्ड के अभिप्राय में सार्थक अंतर होता है?
7. माध्यमिक विद्यालयों के विद्यार्थियों में लिंग के आधार पर दण्ड के अभिप्राय में क्या सार्थक अंतर होता है?
8. माध्यमिक विद्यालयों के विद्यार्थियों में विद्यालय के प्रकार के आधार पर दण्ड के अभिप्राय में क्या सार्थक अंतर होता है?
9. माध्यमिक विद्यालयों के विद्यार्थियों में माध्यम के अधार पर दण्ड के अभिप्राय में क्या सार्थक अंतर होता है?

1.21 शोध में प्रयुक्त चर

चर का शाब्दिक अर्थ है प्रविर्तित होना। चर के संबंध में कुछ परिभाषायें निम्नानुसार दृष्टव्य है–

गैरेट के शब्दों में "चर विशेषताऐं तथा गुण होते है, जिनमें मात्रात्मक विभिन्नतायें स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होती है तथा जिनमें किसी एक आयाम पर परिवर्तन होते रहते है।"

करलिंगर – "चर एक ऐसा गुण है जिसकी अनेक मात्राऐं हो सकती है।"

मुख्यतः चर दो प्रकार के होते है:–

1. स्वतंत्र चर
2. आश्रिम चर

1. स्वतंत्र चर –

साधारणतः प्रयोगकर्ता जिस कारक के प्रभाव का अध्ययन करना चाहता है और प्रयोग में जिस पर उसका पूर्व नियंत्रण होता है, उसे स्वतंत्र चर कहते है।

2. आश्रित चर–

स्वतंत्र चर के प्रभाव के कारण जो व्यवहार परिवर्तन होता है और जिसका अध्ययन तथा मापन किया जाता है, उसे आश्रित चर कहते है।

प्रस्तृत शोध में चर :–

- स्वतंत्र चर
  1 लिंगगत :– पुरूष– महिला, छात्र – छात्रायें।
  2 अवस्थिति :– ग्रामीण, शहरी।
  3 विद्यालय का प्रकार :– शासकीय, अशासकीय।
  4 शिक्षण का माध्यम :– गुजराती, अंग्रेजी।
  5 विषयगत
  6 अनुभव
- आश्रित चर

  दण्ड के प्रति अभिप्राय।

1.22 शोध का परिसीमन

Regional Institute of Education LIBRARY Bhopal

प्रस्तुत लघुशोध प्रबंध का परिसीमन इस प्रकार है–

1. कक्षागत दण्ड संबंधी समस्याओं तक सीमित होगा।
2. ये अध्ययन गुजरात राज्य के सुरेन्द्रनगर जिले तक ही सीमित किया जायेगा।
3. वर्ष 2010–2011 तक की समयावधि में ये अध्ययन किया जायेगा।
4. आकड़ों के संगृहण हेतु माध्यमिक स्तर के शिक्षकों एवं विद्यार्थियों का ही चयन किया जायेगा।
5. कक्षा नवमीं में अध्ययनरत विद्यार्थियों के अभिप्राय तक सीमित किया जायेगा।
6. इस अध्ययन में 50 शिक्षकों एवं 200 विद्यार्थियों का चान किया जायेगा।
7. इस अध्ययन में स्वनिर्मित उपकरण का प्रयोग किया जायेगा।
8. इस अध्ययन मे वर्णनार्तत्मक प्रविधि तथा प्रदत्त विश्लेषण में मध्यमान, प्रामाणिक विचलन, 'टी' परीक्षण, चरिता विश्लेषण का प्रयोग किया जायेगा।

D – 336

1.23 पदों व संकल्पनाओं की परिभाषा–

दण्ड :–

प्राचीन धारणा के अनुसारी अनुशासन के लिए कठोर दण्ड अथवा ािवा केवल दण्ड को ही शिक्षक की सहायक सामग्री समझा जाता था। अनुशासन को भंग करने पर दण्ड दिया जाता है। एक तरफ दड के कारण अपराधों को रोका जाता है तो दूसरी ओर दण्ड देना अपराध माना जाता है।

शिक्षक :–

प्राचीन धारणा के अनुसार शिक्षा शिक्षक प्रधान थी। अतः शिक्षक का स्थान एक निर्देशन अथवा तानाशाह की भाँति समझा जाता था। लेकिन आधुनिक धारणा के अनुसार शिक्षक एक मित्र की भाँति है कि वह बालकों के साथ

सहानुभूति पूर्ण तथा व्यक्तिगत सम्पर्क स्थापित करके उनमें सामाजिक रूचियो, आदतों तथा दृष्टिकोणों को विकास करे।

विद्यार्थी :–

विद्या को आत्मसात करने वाला विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त करने वाले प्रत्येक छात्र एवं छात्रा को शिक्षार्थी के अर्थ में लिया जाता है। बालक का व्यवहार व्यक्तिगत एवं सामूहिक दोनों ही प्रकार का होता है और शिक्षा मनोविज्ञान उसका अध्ययन करता है।

विद्यालय :–

विद्यालय प्रमुख कारक है, जो सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करता है। यदि कक्षा का वातावरण शोरगुल से युक्त होता है तो छात्र अपना ध्यान एकाग्र नहीं कर सकते। पहरणाम स्वरुप वे ठीक प्रकार से नहीं सीख सकेंगे।

सरकार श्री के आदेशानुसार अधिनियम के कमुताबिक कक्षा 8 से 10 तक के पाठ्यक्रम का अध्यापन करवाता विद्यालय यानी माध्यमिक विद्यालय तथा उसमें अध्ययनरत लड़के एवं लड़कियाँ यानी माध्यमिक विद्यालय विद्यालयों के विद्यार्थी।

अभिप्राय :–

'अभिप्राय' शब्द का अर्थ है – राय, मत, विचार, सम्मति एवं मंतव्य। किसी भी व्यक्ति, वस्तु, घटना तथा परिस्थिति के बारे में हर एक व्यक्ति का भिन्न–भिन्न अभिप्राय होता है।

समाजिक पृष्ठभूमि

समाजिक पृष्ठभूमि के अंतर्गत वर्ण, जाति, लिंग, वंश, स्थान आदि का समन्वय किया जाता है।

व्यवसायिक पृष्ठभूमि

व्यावसायिक पृष्ठभूमि के अंतर्गत शिक्षक की व्यावसायिक योग्यता, शैक्षिक योग्यता, अनुभव और विषय का समावेश किया गया है।